

प्ररूप अ.डि 32

अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही में अभिकर्ता के प्राधिकरण का प्ररूप
(धारा 84, नियम 20)

(तत्काल प्रवृत्त विधि के अधीन स्टाप लगाया जाए)

मैं / हम 1———— के लिए मेरे / हमारे अभिकर्ता के रूप कार्य करने के लिए मैं ————— के प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएँ, अध्यपेक्षाएँ और संसूचनाएँ ऐसे अभिकर्ता उपर्युक्त पते पर भेजें ।

मैं / हम कार्यवाही की बाबत सभी पूर्ववर्ती प्राधिकरण यदि को है, इसके द्वारा प्रतिसंहत करता हूँ / करते हैं ।

4 —————

सेवा में

रजिस्ट्रार, अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

————— 3 पर अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का कार्यालय

1. पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें ।
2. अभिकर्ता (विधि व्यवसायी, रजिस्टरीकृत अभिन्यास डिजाइन अभिकर्ता या अभिकर्ता को नियुक्त करने वाले व्यक्ति के एक मात्र और नियमित नियोजन में व्यक्ति) का पूरा नाम व पता भरें ।
3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें जिसके लिए अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, यदि ज्ञात हो तो संदर्भ संख्या भी दें ।
4. अभिकर्ता नियुक्त करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है ।
5. अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय के स्थान के नाम का उल्लेख करें । नियम -4 देखें